

METAMIFOP 10% EC

(Pyzero)
HERBICIDE

(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

मेटामीफोप 10% ई.सी.

(पाईजेरो)

खरपतवारनाशक

(स्वदेशी उत्पादन के लिए)

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep out of Reach of Children.



सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
Keep in a cool & dry place away from heat, or open flame.

Regd. No.- रजि. नं. _____
Mfg. Lic. No.- मैन्युला नं. _____
Batch No.- बैच नं. _____
Mfg. Date./बनाने की तिथि _____
Exp. Date-अन्तिम तिथि _____
Volume/Net Content-आयतन/शुद्ध मात्रा _____ Price (M.R.P.)-कीमत _____

Caution: This product is toxic to fish therefore not to discharge this product into water bodies.

सावधान : यह उत्पाद मछलीयों के लिए जहरीला है। इसलिए इस उत्पाद का निर्वहन जलाशय में न करें।

Chemical Composition:-

Metamifop a.i. 10.00% w/w

Other Adjuvants (as detailed Q.S.)

Total gm 100.00% w/w

(Leaflet)

ANTIDOTE:-

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

RECOMMENDATION: Please read enclosed leaflet before use.

Manufacture and Marketed by:

M/s FMC India Private Limited
Embassy Star, 1st Floor, No. 8, Palace Road, High Grounds, Bangalore - 560 052

Factory Address:

Unit -1: At 146, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram District - 603 303, Tamilnadu.

Unit -2: At Survey No. 2/1, Village - Vaseti, Baska- Tajpura Road, Post - Tajpura, - 369350, Tal : Halol, Dist : Panchmahal, Gujarat.

Unit -3: Survey No. 180/7 & 180/15, Khazipally Village, Jinnaram (Mandal), Medak District - 502319, Andhra Pradesh

(Please read enclosed leaflet before use)

प्रमाणित
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED



रसायनिक संरचना

मेटामीफोप स.त. 10.00 %वा/वा

अन्य पदार्थ (प्रमाणित मात्रा)

कुल 100.00% वा/वा

(31.05.2012)

विषनाशक :

कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है।
लक्षणानुसार इलाज करें।

उपयोग के लिए सिकांश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

आयात और विपणनकर्ता :

एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

एम्बेसी स्टार, 1 फ्लोर, नं 8, पैलेस रोड, हाई ग्राउंड्स, बंगलूर - 560 052.

फैक्ट्री :

युनिट 1 : 146, किलावालम विलेज, मदुरान्ताकम तालूक, कान्चीपूरम डिस्ट्रिक्ट - 603 303, तामिलनाडु,

युनिट 2 : सर्वे नं. 2/1, विलेज - वासेटी, बास्का - ताजपुरा रोड, पोस्ट - ताजपुरा - 369350, तालुका : हालोल, डिस्ट्रिक्ट : पंचमाहाल, गुजरात.

युनिट 3 : सर्वे नं. 180/7 और 180/15, खाजीपल्ली विलेज, जिन्नाराम मण्डल, मेडक डिस्ट्रिक्ट - 502319, आन्ध्र प्रदेश

(उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।)

For FMC India Private Limited

Authorised Signatory

METAMIFOP 10% EC

(Pyzero)

HERBICIDE

(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

मेटामीफोप 10% ई.सी.

(फाईजेरो)

खसपतारनाशक

(स्वदेशी उत्पादन के लिए)

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep out of Reach of Children.



सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

Keep in a cool & dry place away from heat, or open flame.

Regd. No. - रजि. नं.

Mfg. Lic. No. - म. यु. ला. नं.

Batch No. - बैच नं.

Mfg. Date - बनाने की तिथि

Exp. Date - अन्तिम तिथि

Volume/Net Content - आयतन / शुद्ध मात्रा

Price (M.R.P.) - कीमत

Direction for use:- Please read enclosed leaflet before use.

उपयोग के लिए सूचना : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।

Caution: This product is toxic to fish therefore not to discharge this product into water bodies.

सावधान : यह उत्पाद मछलियों के लिए जहरीला है। इसलिए इस उत्पाद का निर्वहन जलाशय में न करें।

Chemical Composition:-

Metamifop a.i.	10.00% w/w
Emulsifier (Blend of Calcium alkyl benzene sulphonate and alkoxy alkyl Ether)	06.00% w/w
Emulsifier (Blend of Calcium alkyl phenyl sulphonate and alkoxy alkyl Aryl ether)	04.00% w/w
Naptha L	Q.S.
Total	100.00% w/w

Precautions:-

1. Use only Knapsack sprayer for application
2. Do not broadcast or do not apply as a sand mix application.
3. Do not use cooking utensils for preparing spray
4. Use stick for stirring the spray solution.
5. Wear hand gloves to avoid contact with the skin.
6. Also avoid inhalation and contact with eyes.
7. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots while spraying do not expose yourself to spray drift.
8. Do not blow nozzles with mouth.
9. Do not eat. Drink or smoke while handling or applying the product.
10. Do not store unused solution, clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use.
11. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over.
12. Also wash the contaminated clothes.
13. Do not contaminate streams, ponds, waterways, etc. by discharging left over spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them.
14. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

प्रमाणीकृत
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED

Symptoms of Poisoning:-

Repeated eye or skin contact may cause moderate eye and skin irritation and allergic reactions in some individual.

Antidote:-

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

First Aid Measures:-

If Ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

If Inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing difficulty, give artificial respiration, preferable with mouth to mouth breathing. Consult a physician.

In case of Skin Contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.

In case of Eye Contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Manufacture and Marketed by:

M/s FMC India Private Limited
Embassy Star, 1st Floor, No. 8, Palace Road, High Grounds, Bangalore - 560 052

Factory Address:

Unit -1: At 146, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk, Kanchipuram District - 603 303, Tamilnadu.

Unit -2: At Survey No. 2/1, Village - Vaseti, Baskapur Road, Post - Tajpura, - 369350, Tal : Halol, Dist : Panchmahal, Gujarat.

Unit -3: Survey No. 180/7 & 180/15, Khazipally Village, Jinnaram (Mandal), Medak District - 502319, Andhra Pradesh.



METAMIFOP 10% EC

(Pyzero)

HERBICIDE

(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

मेटामीफोप 10% ई.सी.

(पाईजरो)

खरपतवारनाशक

(स्वदेशी उत्पादन के लिए)

रसायनीक संरचना

मेटामीफोप स.त.

एमुल्सीफायर (ब्लैंड ऑफ कॉल्डियम

आल्कील बिनजीन सुल्फोनेट और

अलकाई आल्कील ईथर)

मेटामीफोप (ब्लैंड ऑफ

कॉपी आल्कील फीनाइल सुल्फोनेट

और कॉपी आल्कील टारयल ईथर) 04.00 %भा/भा

पर्याप्त मात्रा

कुल 100.00% भा/भा

10.00 %भा/भा

06.00 %भा/भा

उपयोग के लिए सवधानियाँ :

1. इसका छिड़काव नैपरोक स्प्रेयर से हि करें।
2. इसका बुरकाव मे करें और रेत के साथ छिड़काव न करें।
3. स्प्रै सोल्युशन बनाने के लिए खाना बनाने के बर्तनों का उपयोग न करें।
4. स्प्रै सोल्युशन को हिलाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करे।
5. तबजा को संपर्क से बचाने के लिए हाथों में दस्ताने पहनें।
6. इसे सूखे नही तथा आँखों को संपर्क से बचाएं।
7. छिड़काव के समय सुधालाक कपड़े जैसे मास्क, चश्मा और जूते पहने स्वयं को स्प्रै झ्रिफ्ट से बचाये।
8. नोजलस में मुंह से फूँक न मारें।

9. खरपतवारनाशक का रख-रखाव या उपयोग करते समय खाना-पीना धूम्रपान न करें।

10. बचे हुए सोल्युशन को संग्रहित न करें। स्प्रेयर बाल्टियों और अन्य बर्तनों को उपयोग के बाद पानी से धोएं।

11. हाथों को साबुन और खुले पानी से धोएं और कार्य समाप्त होने के बाद कपड़े बदल लें।

12. दूषित कागड़ों को भी धोएं।

13. झरनों तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को इससे दूषित न करें यानी न तो उनमें बचा हुआ घोल फेंके और न ही स्प्रेयर, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें न धोएं।

14. विष के लक्षण नजर आते ही डॉक्टर की सलाह लें।

विष के लक्षण :

दोहराया आंख या त्वचा से संपर्क से कुछ व्यक्तियों में उदासवादी आंख और त्वचा की जलन और एलर्जी पैदा कर सकता है।

विषनाशक :

कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्रथमोपचार :

निगलजाने पर : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो अच्छे से पानी से कुल्ला कराये और 1 या दो ग्लास भर के पानी पीलाये। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उस व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जबपरसती उल्टी न कराये जब तक डॉक्टर मौजूद ना हों।

सांसद्वारा : मरीज को ताली हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का खयाल रखें। यदि रोगी को सांस लेने में कठिनाई हो तो, मुँह से मुँह सांस दें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।

त्वचा से संपर्क : त्वचा को शरीर के दूषित अंगों तथा आँखों और नाखूनों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं। यदि शरीर में दर्द, जलन या लाली हो तो डॉक्टर को बुलायें। दूषित कपड़ों को अलग करके अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं।

आँखों के संपर्क : आँखों को 15 मिनट तक साफ पानी से धोएं। यदि आँखों में दर्द, जलन, आँखे लाल हो जाए या फोटोफोबिया हो तो आँखों के डॉक्टर की सल्लाह लें।

आयात और विपणनकर्ता : एकएम्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम्बेसी स्टार, 1 फ्लोर, नं 8, पेलेस रोड, हाई ग्राउंड्स, बैंगलोर - 560 052.

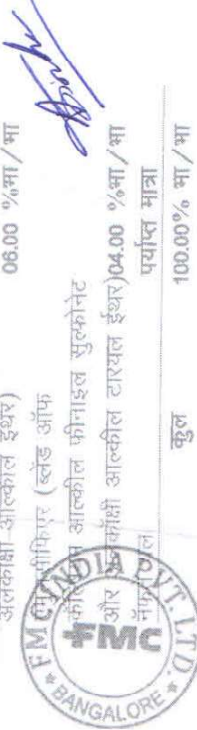
फैक्ट्री :

युनिट 1 : 146, किलावालम विपेज, मद्रुरान्ताकम तालुक, कांचीपूरम डिस्ट्रीक्ट - 603 303, तामिलनाडु.

युनिट 2 : सर्वे नं. 2/1, विलेज - वासेटी, बारका - ताजपूर रोड, पोस्ट - ताजपूर - 389350, तालुका : हालोल, डिस्ट्रीक्ट : पंचमाहाल, गुजरात.

युनिट 3 : सर्वे नं. 180/7 और 180/15, खाजीपल्ली विलेज, जिन्नाराम मनडल, मेडाक डिस्ट्रीक्ट - 502319, आन्ध्र प्रदेश

प्रमाणीकृत
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED



Authorised Signatory

METAMIFOP 10% EC
(Pyzero)
HERBICIDE
(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

प्रमाणीकृत
अनुमोदित
**AUTHENTICATED
APPROVED**

Metamifop 10 EC is a selective post-emergent grass herbicide with excellent activity on grasses in direct seeded rice.

Chemical Composition:-

Metamifop a.i.

10.00% w/w

Emulsifier (Blend of Calcium alkyl benzene sulphonate and alkoxy alkyl Ether)

06.00% w/w

Emulsifier (Blend of Calcium alkyl phenyl sulphonate and alkoxy alkyl Aryl ether)

04.00% w/w

Naptha L

Q.S.

Total

100.00% w/w

Recommendation for use:

"Metamifop 10 EC" Should be used as foliar spray for the control of following weeds in direct seeded rice.

Crop	Weeds Controlled	Dosage / ha			Waiting Period in Days (Interval between last spray & Harvest)
		ai (g)	Formulation (g)	Dilution in water (l)	
Direct Seeded Rice	Barnyard grass (<i>Echinochloa</i> spp), <i>Saccharitopsis</i> , <i>Dactyloctenium</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Panicum</i>	100	1000	350	87

Direction for Use:-

Measure the required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation. For high volume application, use knapsack sprayer with flat or flood jet nozzle.

Application:-

The herbicide should only be applied as a foliar spray. For best results apply METAMIFOP 10 EC when the grasses are in 2 to 3 leaf stage generally coinciding with 10 to 15 days after sowing. For best results ensure a uniform application of the spray solution over the area to be treated.

Compatibility:-

METAMIFOP 10 EC is compatible with commonly used herbicides in rice crop. Do not mix with 2,4-D as it may cause phytotoxicity to Rice.



Authenticated
For FMC India Private Limited

[Signature]
Authorized Signatory



Precautions:-

1. Use only Knapsack sprayer for application
2. Do not broadcast or do not apply as a sand mix application.
3. Do not use cooking utensils for preparing spray
4. Use stick for stirring the spray solution.
5. Wear hand gloves to avoid contact with the skin.
6. Also avoid inhalation and contact with eyes.
7. Wear protective clothing, mask, goggles, and boots while spraying do not expose yourself to spray drift.
8. Do not blow nozzles with mouth.
9. Do not eat. Drink or smoke while handling or applying the product.
10. Do not store unused solution, clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use.
11. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over.
12. Also wash the contaminated clothes.
13. Do not contaminate streams, ponds, waterways, etc. by discharging left over spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. In them.
14. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor.

Spray Equipment & Tank Clean Up:-

Thoroughly clean all mixing and spray equipment immediately following application by rinsing outside, inside of the tanks with clean water. Drain tank completely. Agitate for 15 minutes after adding water to fill tank completely and drain the tank. Again rinse with clean water and drain. Collect washing. Tank washing should be disposed off in a safe manner to prevent environment / water contamination.

Symptoms of Poisoning:-

Repeated eye or skin contact may cause moderate eye and skin irritation and allergic reactions in some individual.

Antidote:-

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

First Aid Measures:-

If Ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

If Inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing difficulty, give artificial respiration, preferable with mouth to mouth breathing. Consult a physician.

In case of Skin Contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.

In case of Eye Contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

प्रमाणित
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED



Signature



Authenticated
For FMC India Private Limited

Signature
Authorised Signatory

Storage:-

1. The packages containing the herbicide shall be stored in original containers in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of herbicide.
2. The room and premises meant for storing the herbicide shall be well built, cool, dry place, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Disposal of Empty Containers:-

1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages by surplus material and wrapping shall be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

CAUTION: "This product is toxic to fish therefore not to discharge this product to Water bodies."

Manufacture and Marketed by: M/s FMC India Private Limited
Embassy Star, 1st Floor, No. 8, Palace Road, High
Grounds, Bangalore - 560 052

Factory Address: Unit -1: At 146, Kilavalam Village, Madurantakam Taluk,
Kanchipuram District - 603 303, Tamilnadu.

Unit -2: At Survey No. 2/1, Village - Vaseti, Baska-Tajpura
Road, Post - Tajpura, - 369350, Tal : Halol, Dist :
Panchmahal, Gujarat.

Unit -3: Survey No. 180/7 & 180/15, Khazipally Village,
Jinnaram (Mandal), Medak District - 502319, Andhra
Pradesh.



प्रमाणित
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED



Authenticated
For FMC India Private Limited

Authorised Signatory

मेटामीफोप 10% ई.सी. (पाईजेरो)

खरपतवारनाशक
स्वदेशी उत्पादन के लिए

प्रमाणीकृत
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED

मेटामीफोप 10% ई.सी. एक चुनिंदा, खरपतवारनाशक उगने के बाद प्रयोग किया जाने वाला खरपातवारनाशक है जो सीधी बुवाई चावल की फसल में घास का नियंत्रण करता है।

उपयोग :

इसका उपयोग मेटामीफोप आधारित संरचना बनाने हेतु किया जाता है।

रसायनीक संरचना

मेटामीफोप स.त.

10.00 %भा/भा

एमुलसीफिएर (ब्लेंड ऑफ कैल्शियम आल्कील बिन्जीन सुल्फोनेट और अलकॉक्षी आल्कील ईथर) 06.00 %भा/भा

एमुलसीफिएर (ब्लेंड ऑफ कैल्शियम आल्कील फीनाइल सुल्फोनेट और अलकॉक्षी आल्कील

टारयल ईथर)

04.00 %भा/भा

नैफते यल

पर्याप्त मात्रा

कुल

100.00% भा/भा

उपयोग के लिए सिफारिश :

मेटामीफोप 10% ई.सी. का फोलिअर स्प्रे सीधीबुवाई चावल की फसल में निम्न खरपतवारों के नियंत्रण के लिए करना चाहिए।

फसल	नियंत्रित खरपतवार	मात्रा / है			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच में अंतर (दिनों में)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी में घोल (लीटर)	
सीधी बुवाई चावल	बार्नयार्ड घास (एचीनोकलोआ स्पीशीस), डेकटिलैकटिनम, डिजिटरीया,	100	1000	350	87

उपयोग के लिए निर्देश :

आवश्यक मात्रा को मापने के बाद पानी की थोड़ी मात्रा के साथ अच्छा मिश्रण बनाए/सोल्युशन नैपसेक स्प्रेयर में 15 लीटर पानी के साथ मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं। फसल की पूरी तरह से कवरेज के लिए छिड़काव फलैट फैन नोजल लगाकर करें।

प्रयोग :

खरपतवारनाशक का उपयोग पत्तियों पर छिड़काव के लिए किया जाना चाहिए। अच्छे परिणामों के लिए मेटामीफोप 10% ई.सी. का उपयोग बुआई के 10 - 15 दिन बाद की जब घास 2 - 3 पत्ते की अवस्था में होती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए यह सुनिश्चित करें कि उपचार वाले क्षेत्र पर समान रूप से स्प्रे सोल्युशन का छिड़काव हों।

संगतता :

मेटामीफोप 10% ई.सी. चावल की फसल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जानेवाले खरपतवारनाशक के साथ संगत हैं। इसका इस्तेमाल 2,4-डी के साथ ना करें।

उपयोग के लिए सवधानियाँ :

1. इसका छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर से हि करें।
2. इसका बुरकाव मे करें और रेत के साथ छिड़काव न करें।

Authenticated
For FMC India Private Limited

[Signature]

Authorized Signatory



3. स्प्रे सोल्युशन बनाने के लिए खाना बनाने के बर्तनों का उपयोग न करें।
4. स्प्रे सोल्युशन को हिलाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करें।
5. त्वचा को संपर्क से बचाने के लिए हाथों में दस्ताने पहनें।
6. इसे सूंघें नहीं तथा आँखों को संपर्क से बचाएं।
7. छिड़काव के समय सुरक्षात्मक कपड़े जैसे मास्क, चशमा और जूते पहने स्वयं को स्प्रे ड्रिफ्ट से बचायें।
8. नोजलस में मुँह से फूँक न मारें।
9. खरपतवारनाशक का रख-रखाव या उपयोग करते समय खाना-पीना धूम्रपान न करें।
10. बचे हुए सोल्युशन को संग्रहित न करें। स्प्रेयर, बाल्टियों और अन्य बर्तनों को उपयोग के बाद पानी से धोएं।
11. हाथों को साबुन और खुले पानी से धोएं और कार्य समाप्त होने के बाद कपड़े बदल लें।
12. दूषित कपड़ों को भी धोएं।
13. झरनों तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को इससे दूषित न करें यानी न तो उनमें बचा हुआ घोल फेंके और न ही स्प्रेयर, दूषित बाल्टियों आदि को उनमें न धोएं।
14. विष के लक्षण नजर आते ही डॉक्टर की सलाह लें।



छिड़काव यंत्र व टैंक की सफाई :

छिड़काव के उपरान्त, सभी छिड़काव यंत्रों व घोलने के टैंक को अंदर व बाहर से साफ पानी से तुरंत साफ करें एवं धोवन को पूरी तरह से निकाल दें। दोबारा आधा टैंक साफ पानी भरकर 15 मिनट तक खंगालें और खाली करें। फिर से साफ पानी से धोएं। सारी धोवन को एकत्र करें। सावधानी से छिड़काव यंत्र व घोलने के टैंक आदि के धोवन का निपटारा करें जिससे पर्यावरण व जल का प्रदूषण न हो।

विष के लक्षण :

दोहराया आँख या त्वचा से संपर्क से कुछ व्यक्तियों में उदरवादी आँख और त्वचा की जलन और एलर्जी पैदा कर सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा :

1. यदि निगल जाये तो गले को पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह किया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा नितला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये।
2. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
3. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
4. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक :

कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें।

Handwritten signature

प्रमाणित
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED

प्रथमोपचार :

निगलजाने पर : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क हैं, तो अच्छे से पानी से कुल्ला कराये और 1 या दो ग्लास पानी पीलायें। यदि व्यक्ति बेहोश तो उस व्यक्ति को मुँह से कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं। जबरदस्ती उल्टी न कराये जब तक डॉक्टर मौजूद ना हों।

साँसद्वारा : मरीज को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी को साँस लेने में कठिनाई हो तो, मुँह से मुँह साँस दें। एक चिकित्सक से परामर्श करें।

त्वचा से संपर्क : त्वचा को शरीर के दूषित अंगों तथा बाल और नाखूनों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं। यदि शरीर में दर्द, जलन या लाली हो तो डॉक्टर को बुलायें। दूषित कपड़ों को अलग करके अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं।

आँखों के संपर्क : आँखों को 15 मिनट तक साफ पानी से धोएं। यदि आँखों में दर्द, जलन, आँखें लाल हो जाए या फोटोफोबिया हो तो आँखों के डॉक्टर की सलाह लें।



Authenticated
For FMC India Private Limited
Handwritten signature
Authorised Signatory

संघय :

1. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग कमरों में रखिये तथा अन्य पदार्थ के रखनेवाली जगह से दूर रखिये। खरपतवारनाशक के वजन तथा फैलाव के हिसाब से अलग तालाबंद अलमारी में रखें।
2. खरपतवारनाशक रखनेवाला कमरा या जगह सुखी, रोशनदान तथा बड़े आकारवाली होनी चाहिए, ताकि बाष्प से दुषित न रहे। वहाँ प्रकाशयुक्त और बड़े आकार हो।

खाली डिब्बों का निपटारा : *Amul*

1. खरपतवारनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि पैकेज, मशीन की धुलाई बची हुई सामग्री आदि की निकासी की व्यवस्था ऐसी सुरक्षा से करना चाहिये, ताकि इनसे पानी, वातावरण व चारे दूषित न हो।
2. खाली डिब्बों और पैकेज को तोड़कर आबादी से दूर गाढ़ देना चाहिए।
3. खाली डिब्बों को दुबारा काम में लेने के लिये बाहर न छोड़ें।

18/7 सावधान : यह उत्पाद मछलीओं के लिए जहरीला है। इसलिए इस उत्पाद का निर्वहन जलाशय में न करें। *28/7*

उत्पादक और विपणनकर्ता :

एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

एमबेसी स्टार, 1 फ्लोर, नं 8, पेलेस रोड, हाई ग्राउंड्स, बंगलारे - 560 052.

फैक्ट्री :

युनिट 1 :

146, किलावालम विपेज, मदूरान्ताकम तालूक, कांचीपूरम डिस्ट्रीक्ट - 603 303. तामिलनाडु,

युनिट 2 :

सर्वे नं. 2/1, विलेज - वासेटी, बारका - ताजपूरा रोड, पोस्ट - ताजपूरा - 389350, तालुका : हालोल, डिस्ट्रीक्ट : पंचमाहाल, गुजरात.

युनिट 3 :

सर्वे नं. 180/7 और 180/15, खाजीपल्ली विलेज, जिन्नाराम मनडल, मेडाक डिस्ट्रीक्ट - 502319, आन्ध्र प्रदेश



प्रमाणीकृत
अनुमोदित
AUTHENTICATED
APPROVED



Authenticated
For FMC India Private Limited

Sumar
Authorised Signatory